<u>न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरेली,</u>
<u>जिला रायसेन (म.प्र.)</u>
(<u>समक्षः– हर्षिता सिंगार</u>)

Filling N.- SUM/1496/2022
CNR -MP3805001772/2022
CASE N.- SUM/374/2022

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा आबकारी वृत्त बरेली,
जिला रायसेन (म.प्र.) ______ **अभियोजन**

–:: विरूद्ध ::–

अखलेश, आयु 36 वर्ष,
पिता गुलाबसिंह अहिरवार,
निवासी–ग्राम बागपिपरिया,
जिला रायसेन म.प्र.

______**अभियुक्त**

पुलिस थाना–आबकारी वृत्त बरेली, जिला रायसेन के अपराध कमांक 474/22, म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा–34 से उदभूत प्रकरण।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

(<u>आज दिनांक 11.10.2022 को घोषित</u>)

01. अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा–34(1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि वह दिनांक 07.10.2022 को सुबह के लगभग 09:15 बजे, अपने मकान ग्राम बागपिपरिया जिला रायसेन म.प्र. पर 15 पाव देशी मसाला शराब बिना अनुज्ञप्ति के अपने कब्जे में रखे पाया गया।

02. प्रकरण में उल्लेखित तथ्य यह है कि अभियुक्त ने अपराध किये जाने की स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति दी है।

03. अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि घटना दिनांक को मुखबीर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के मकान की पंचान साक्षी के समक्ष विधिवत तलाशी

ली गई। तलाशी लेने पर अभियुक्त के मकान से 15 पाव देशी मसाला शराब मिली। अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त देशी मसाला शराब जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया। अभियुक्त को मौके पर गिरफतार कर अभियुक्त का अपराध जमानतीय होने से न्यायालय में उपस्थित होने संबंधी सूचना पत्र दिया गया एवं जब्तशुदा शराब वृत्त पर लाये तथा आबकारी वृत्त बरेली जिला रायसेन पर अभियुक्त के विरूद्व अपराध क्रमांक–474/2022 का पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया।

04. प्रकरण में अभियुक्त को म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा–34(1) के तहत अपराध विवरण निर्मित कर उसे पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध किया जाना स्वीकार किया, तदनुसार उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. **प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि** :–

''क्या अभियुक्त घटना दिनांक 07.10.2022 को सुबह के लगभग 09:15 बजे, अपने मकान ग्राम बागपिपरिया जिला रायसेन म.प्र. पर 15 पाव देशी मसाला शराब बिना अनुज्ञप्ति के अपने कब्जे में रखे पाया गया ?''

06. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों तथा अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजन के साक्षियों को तलब किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

07. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सहपत्रों तथा अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर उसके द्वारा आरोपित अपराध का किया जाना प्रथम दृष्टया दर्शित होता है। अभियुक्त द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में धारा 294 द.प्र.सं. के तहत स्वीकार कर स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति की गई है।

08. **अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त घटना दिनांक 07.10. 2022 को सुबह के लगभग 09:15 बजे, अपने मकान ग्राम बागपिपरिया जिला रायसेन म.प्र. पर 15 पाव देशी मसाला शराब बिना अनुज्ञप्ति के अपने कब्जे में रखे पाया गया।**

09. अतः अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा–34 (1) के अंतर्गत **दोषसिद्ध** ठहराया जाता है।

10. अभियुक्त के पूर्व में दोषसिद्ध होने के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। **अतः अभियुक्त अखलेश पिता गुलाबसिंह अहिरवार की स्पष्ट**

स्वीकारोक्ति के आधार पर <u>अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1500/– रूपए (एक हजार पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के संदाय में व्यतिक्रम किये जाने की दशा में अभियुक्त को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।</u>

11. प्रकरण में **जब्तशुदा 15 पाव देशी मसाला शराब** मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलावधि पश्चात् माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

स्थान :– बरेली, जिला रायसेन म.प्र.
दिनांकः– 11.10.2022

(हर्षिता सिंगार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बरेली जिला रायसेन, म.प्र.

(हर्षिता सिंगार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बरेली जिला रायसेन, म.प्र.